

मज़दूर एकता लहर



हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय कमेटी का अख्बार



ग्रंथ-37, अंक - 16

अगस्त 16-31, 2023

पाक्षिक अख्बार

कुल पृष्ठ-6

हिन्दोस्तान की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर :

शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्ति के बिना आज़ादी अधूरी है

19⁴⁷ में जब ब्रिटिश उपनिवेशवादी हिन्दोस्तान के लोगों को जातिवादी भेदभाव, महिलाओं के उत्पीड़न और सांप्रदायिक उत्पीड़न सहित, सभी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिलने की उम्मीद थी। नए हुक्मरानों ने हमारे देश के लंबे समय से पीड़ित लोगों के आंसू पौछने का वादा किया था। लोगों को उम्मीद थी कि आज़ाद हिन्दोस्तान का राज्य समाज के सभी सदस्यों के साथ इंसान जैसे बर्ताव करेगा और सबके साथ समान अधिकारों वाले नागरिकों के रूप में व्यवहार करेगा। लेकिन, आज़ादी के 76 साल बाद भी ये उम्मीदें और अपेक्षाएँ अधूरी हैं।

मणिपुर और हरियाणा की हालिया घटनाएं देश की भयावह रिथ्ति का प्रत्यक्ष सबूत हैं। लोग अपनी धार्मिक, जातिवादी, नस्लवादी या आदिवासी पहचान के आधार पर हिंसक हमलों का निशाना बनाए जाते रहते हैं। लोगों को मार दिया जाता है, बेघर कर दिया जाता है, महिलाओं का बलात्कार किया जाता है या उन्हें निर्वस्त्र घुमाया जाता है, और इन सब हमलों के होते हुए, सुरक्षा बलों से लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती है।

उपनिवेशवादी हुक्मत से मुक्ति के साथ-साथ, आर्थिक शोषण, गरीबी और भूख से मुक्ति नहीं मिली है। पूँजीवाद के विकास की वजह से एक ध्रुव पर अत्यधिक अमीर अरबपतियों का विकास हुआ है

जबकि दूसरे ध्रुव पर व्यापक गरीबी और बेरोज़गारी फैली हुयी है।

शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी शहीदों ने कहा था कि :

"हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठीभर लोग, चाहे वे विदेशी हों या देशी, या दोनों एक-दूसरे के सहयोग

यह है कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों और कानूनों को निर्धारित करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

एक के बाद एक, सभी सरकारों ने मेहनतकश जनता की कीमत पर, सरमायदारों के संकीर्ण हितों की सेवा की है। अति अमीर पूँजीपतियों के अधिकतम

और उसके द्वारा संचालित आर्थिक व्यवस्था में है।

समस्या की जड़ इस हकीकत में निहित है कि 1947 में राजनीतिक सत्ता लोगों के हाथों में नहीं आई थी। ब्रिटिश हुक्मरानों ने सांप्रदायिक आधार पर देश के बंटवारे को आयोजित किया था और सांप्रदायिक जनसंहार के बीच में, अपने भरोसेमंद सहयोगियों के हाथों में सत्ता दें दी थी।

सत्ता बड़े पूँजीपतियों और बड़े जमीदारों के राजनीतिक प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई, जिन्होंने लोगों के सांप्रदायिक और जातिवादी बंटवारे के आधार पर हुक्मत चलाने के उपनिवेशवादी तौर-तरीकों को बरकरार रखने का फैसला किया। राज्य की सारी संस्थाओं और संविधान सहित सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पूँजीवादी शोषण और हिन्दोस्तानी सरमायादारों की हुक्मत को बनाए रखने का काम करती है।

सार्वभौमिक प्रौढ़ मताधिकार की लोकप्रिय मांग को स्वीकार करते हुए, संविधान सभा ने उस राजनीतिक व्यवस्था को कायम रखने का फैसला किया था, जिसे ब्रिटिश हुक्मरानों ने हिन्दोस्तानी लोगों को गुलाम बनाने के लिए स्थापित किया था। राजनीतिक प्रक्रिया ने लोगों को चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने, निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने

शेष पृष्ठ 4 पर

हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा की निंदा करें!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 5 अगस्त, 2023

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी हरियाणा के मेवात क्षेत्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कड़ी निंदा करती है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

31 जुलाई को नूह जिले से शुरू हुई हिंसा अगले दो दिनों में गुरुग्राम और पलवल तक फैल गई। इस हिंसा में कम से कम 6 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। सेंकड़ों लोगों की गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई है। हजारों मेहनतकश लोग इन जिलों से पलायन करने को मजबूर हो गये हैं।

हरियाणा सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित एक 'शोभा यात्रा' को नूह जिले से गुजरने की अनुमति दी थी। जबकि सोशल मीडिया पर बहुत ही भड़काऊ और नफरत-भरा अभियान चलाया जा रहा था, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस व्यक्ति

पर इस साल फरवरी में नासिर और जुनैद नाम के दो निर्दोष व्यक्तियों की लिंगिंग करने का आरोप था, उसने अपने समर्थकों से यात्रा में शामिल होने का खुला आह्वान किया था। यह तब हुआ, जब पुलिस का

अपीलों की उपेक्षा की और यात्रा को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने घोषणा की है कि नूह में सांप्रदायिक हिंसा एक पूर्व नियोजित साज़िश थी। हरियाणा

में सांप्रदायिक हिंसा की इस घटना में सांप्रदायिक नफरत फैलाये जाने के लिए और जान-माल के दुखद नुकसान के लिए राज्य प्रशासन के अधिकारियों – कमान संभालने वालों – को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य और सत्ता में बैठे लोग दोषी हैं, न कि लोगों का यह या वह तबका।

कहना था कि वह कई महीनों से उस आरोपी व्यक्ति का पता ही नहीं लगा पा रही थी।

कई लोगों ने राज्य सरकार से एहतियाती क़दम उठाने की अपील की थी। लेकिन राज्य सरकार ने उन लोगों की

सरकार कुछ रहस्यमय साज़िशकर्ताओं की ओर इशारा करके, हिंसा को फैलाने में अपनी भूमिका को छिपाने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में बेकसूर युवाओं और मेहनतकश लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अंदर पढ़ें

- देश की अर्थव्यवस्था में क्या नहीं बढ़ रहा है? 2
- वन अधिनियम में संशोधन 3
- पाठकों की प्रतिक्रिया 4
- देशभर में मज़दूरों का महापड़ाव 5
- तमिलनाडु में मज़दूरों की सभा 5

देश की अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ रहा है और क्या नहीं बढ़ रहा है?

रकार के प्रवक्ताओं का दावा है कि हिन्दोस्तान दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हालांकि, अधिकांश लोग जानते हैं कि उनके जीवन-स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अधिकतर कामकाजी लोगों की आमदनी में, उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बराबर भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। वास्तव में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के आंकड़ों की गहराई से जांच करने की ज़रूरत है।

कहा जा रहा है कि हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था के हालात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2022–23 के दौरान जी.डी.पी. में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

जी.डी.पी. नामक एक समग्र मापदंड विभिन्न मापदंडों से मिलकर बनता है। जिसमें कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग और विभिन्न सेवाओं द्वारा जोड़ा गया मूल्य शामिल होता है। इन मापदंडों का प्रदर्शन कैसा रहा है, इसकी जांच करने से पता चलता है कि देश का आर्थिक विकास बेहद असमान रहा है। इसमें वृद्धि अत्यंत विषम रही है।

कृषि व वन संबंधी और मछली पालन जैसी गतिविधियां, जो देश की सबसे बड़ी संख्या के लोगों की आजीविका का स्रोत हैं। इनमें 2022–23 में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी की तुलना में बहुत कम है।

“मैक इन इंडिया” जैसी तमाम चर्चाओं और विभिन्न उद्योगों को दिए जाने वाले

तमाम आर्थिक प्रोत्साहनों के बावजूद, कुल मिलाकर विनिर्माण उद्योग का उत्पादन केवल 1.3 प्रतिशत बढ़ा है।

समग्र विकास दर में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की क्या वजह है, जबकि कृषि और उद्योग दोनों बहुत धीमी गति से बढ़े हैं? इसका कारण, पूरी तरह से सेवाओं में हुई वृद्धि से समझा जा सकता है, क्योंकि सेवाओं के द्वारा जोड़ा गया मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद के आधे से अधिक हिस्सा है। “व्यापार, होटल और परिवहन सेवाएं” नाम से जानी जाने वाली सेवाओं में 2022–23 में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जिसमें होम डिलीवरी सेवाओं में तेज़ी से हुई वृद्धि भी शामिल है।

आर्थिक विकास की संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि घरेलू बाज़ार के लिए उत्पादन और निर्यात बाज़ारों के लिए उत्पादन के बीच काफी अंतर है। घरेलू बाज़ार के लिए उत्पादन केवल 5.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जबकि निर्यात इसकी दुगनी दर से बढ़ा है। निर्यात में अधिकांश बढ़ोतरी सेवाओं के निर्यात के कारण हुई है। जो पिछले वर्ष के 254 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2022–23 में 27 प्रतिशत बढ़कर 323 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है।

आर्थिक विकास की असमानता के कारण, रोज़गार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। नियमित नौकरियों की संख्या में गिरावट आई है। नौकरियों की गुणवत्ता बद से बदतर हो गई है। केवल सबसे ख़राब गुणवत्ता वाली नौकरियों जैसे कि डिलीवरी-मैन की नौकरियां ही बढ़ी हैं।

कामकाजी लोगों की आय नहीं बढ़ी है। बहुत से मज़दूर और किसान और भी ग़रीब हो गये हैं। मार्च 2023 में लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि व्यवसायों से जुड़े ग्रामीण दिहाड़ी मज़दूरों के वास्तविक वेतन में प्रति वर्ष केवल 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में गैर-कृषि व्यवसायों में लगे मज़दूरों के वास्तविक वेतन में प्रति वर्ष 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। (वास्तविक-वेतन का क्या अर्थ है? बॉक्स देखें)

किसानों की आमदनी को दुगना करना, वर्तमान सरकार के वादों में से एक था। नीति-आयोग के अनुमान के मुताबिक, 2015–16 के बाद से किसानों की वास्तविक औसत आमदनी में गिरावट आई है।

मज़दूर और किसान ग़रीब ही बने हुए हैं, इनमें से बहुत से और भी ग़रीब होते जा रहे हैं, जबकि सबसे अमीर पूंजीपति और अधिक अमीर हो गए हैं।

जहां स्टॉक-एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों की कुल बिक्री 2018–19 की तुलना में 2022–23 में केवल 42 प्रतिशत अधिक थी, वहीं उनका शुद्ध लाभ 189 प्रतिशत अधिक था। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स की दरों में और बड़ी पूंजीवादी कंपनियों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दरों में बार-बार कटौती की है।

हमारे देश के अति अमीर पूंजीपति उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने में ज्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं, जिन वस्तुओं की हमारे देश के लोगों को ज़रूरत है। जबकि पूंजीपतियों का मुनाफा तेज़ी से बढ़ा है। इसका कारण यह है कि ज़रूरत की वस्तुओं और सेवाओं को ख़रीदने की मज़दूरों और किसानों की क्षमता में गिरावट आयी है। साबुन, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट जैसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री में कमी, मज़दूरों और किसानों के बीच गहरे संकट को दर्शाती है। पिछले चार वर्षों के दौरान, दोपहिया वाहनों (स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड) की बिक्री में 25 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है।

निष्कर्ष

हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखकर जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि प्रचार किया जाता है। यह हम सब के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।

एक तरफ, टाटा, बिड़ला, अंबानी, अदानी और अन्य इजारेदार पूंजीपति बहुत तेज़ी से अपनी संपत्ति का विस्तार कर रहे हैं। दूसरी तरफ, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतें, मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी और किसानों की वास्तविक आय को कम कर रही हैं।

कुछ मुट्ठीभर अति अमीर पूंजीपतियों और करोड़ों मज़दूरों-किसानों के बीच बढ़ती खाई, पूंजीवादी व्यवस्था का ही एक अवश्यंभावी परिणाम है। यह पूंजीपति वर्ग के निजी मुनाफे को अधिकतम करने की दिशा में होने वाले सामाजिक उत्पादन का नतीजा है।

जब तक देश की आर्थिक व्यवस्था, पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफे बनाने की लालच को पूरा करने की दिशा में चलाई जाती रहेगी, तब तक सभी के लिए समृद्धि, एक खोखला नारा ही रहेगा। सभी के लिए समृद्धि तभी हकीकत बनेगी, जब मज़दूर और किसान देश के शासक बनेंगे और उत्पादन प्रणाली को लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में चलायेंगे।

<http://hindi.cgpi.org/23872>


वास्तविक-वेतन का क्या अर्थ है?

किसी मज़दूर को मिलने वाले वेतन में वृद्धि की दर, उसके जीवन स्तर में वृद्धि के अनुरूप नहीं होती है। इसका कारण है जीवनयापन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होने वाले ज़रूरी खर्च में वृद्धि। किसी मज़दूर के जीवन स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए, वास्तविक वेतन का आंकलन करना आवश्यक है, जैसा कि उपभोग की वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर मिलने वाले वेतन से ख़रीदी जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से मापा जाता है।

उदाहरण के लिए, हम दिल्ली के एक अकुशल मज़दूर के हालात को देखें, जिसे कानूनन घोषित न्यूनतम वेतन मिल रहा है। जिसने 2022 के अप्रैल महीने में 16,506 रुपये कमाए होंगे। 1 अक्टूबर, 2022 से न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 16,792 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इस नए वेतन से 2022 के अप्रैल महीने में केवल 16,177 रुपये की वस्तुएं और सेवाएं ही खरीदी जा सकेंगी। भले ही 1 अक्टूबर को मिलने वाले वेतन को 1.7 प्रतिशत बढ़ाया गया था, लेकिन यदि महंगाई को भी शामिल किया जाए तो मज़दूरों का वास्तविक वेतन 2 प्रतिशत घट गया। (यदि हम अप्रैल 2022 में रुपये की क्रय-शक्ति – बाज़ार में उस पैसे से मिलने वाले सामान और सेवाओं को खरीद पाने की क्षमता – को ध्यान में रखते हैं तो 16,506 रुपये के वास्तविक वेतन की हकीकत में क्रय-शक्ति के बढ़ाकर 16,177 रुपये की ही थी।)

मार्च 2023 के अंत तक, सी.पी.आई. (महंगाई सूचकांक) में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि के कारण, वास्तविक वेतन और अधिक घटकर केवल रुपये 15,392 हो गया। 1 अप्रैल को एक और बढ़ोतरी के बावजूद, जिसने न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 17,234 रुपये किया, उससे जीवन-यापन की लागत में हुई वृद्धि की भरपाई नहीं हुई। अप्रैल 2022 की कीमतों पर, अप्रैल 2023 में दी जाने वाली मज़दूरी केवल 16,398 रुपये के बराबर थी। जो कि एक साल पहले की कीमत से कम है। इस प्रकार मज़दूर, एक वर्ष पहले की तुलना में और अधिक ग़रीब हुआ है और वर्ष भर में 10,000 रुपये से अधिक की उसकी ख़रीद क्षमता कम हो गयी है।

घोषित न्यूनतम वेतन और वास्तविक वेतन (रुपये प्रति माह)



ਵਨ (ਸੰਰਕਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ ਮੇਂ ਕਿਯੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

ਵਨ, ਪ੍ਰਾਕ੃ਤਿਕ ਪਰ्यਾਵਰਣ ਕਾ ਏਕ ਅਤ੍ਯਂਤ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੇ ਲਕਡੀ ਸਹਿਤ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਵਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਮੌਤ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੌਤ, ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਤੇ ਹਨ। ਵੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਕੋ ਸੋਖਕਰ ਆਂ ਅੱਕਸੀਜਨ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਰ्यਾਵਰਣ ਕੀ ਸੁਰਕਾ ਮੌਤ, ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥਾਂ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਖਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬਹੁਤ ਆਵਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਵਨ, ਮੂਸਖਲਨ ਔਰ ਬਾਢੀ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਮੌਤ, ਮਦਦ ਕਰਤੇ ਹਨ। ਵੇ ਮਿਟਟੀ ਕੇ ਕਟਾਵ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਔਰ ਪੌਥੋਂ ਤਥਾ ਫਸਲਾਂ ਕੋ ਉਗਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਵਸ਼ਿਕ ਸਮੂਦਾ ਊਪਰੀ ਮਿਟਟੀ ਕੋ ਤੈਤਾਰ ਕਰਨੇ ਮੌਤ, ਮਦਦ ਕਰਤੇ ਹਨ। ਵਨ, ਵਰ਷ਾ ਕੀ ਪਾਨੀ ਕੋ ਲੇ ਲੇਨੇ ਔਰ ਜਲਵਾਘ ਕੇ ਨਿਸ਼ਤਾਰਾਨ ਮੌਤ, ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਤੇ ਹਨ। ਵੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਔਰ ਹਾਨਿਕਾਰਕ ਰਸਾਇਨਾਂ ਕੋ ਛਾਨਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਸੇ ਮਾਨਵ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਉਪਲਬਧ ਪਾਨੀ ਕੀ ਗੁਣਵਤਾ ਮੌਤ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ।

ਜਾਂਗਲਾਂ ਕੇ ਸੰਰਕਣ ਕੇ ਲਿਏ ਕਿਯਾ ਜਾ ਰਹਾ ਸੰਘਰਥ, ਪ੍ਰਾਂਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸੇ ਮਾਨਵ ਔਰ ਪ੍ਰਾਕ੃ਤਿਕ ਪਰ्यਾਵਰਣ ਕੀ ਰਕਾ ਕੇ ਲਿਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਔਰ ਜਨਤਾ ਕੇ ਸੰਘਰਥ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜਾਂਗਲਾਂ ਕੋ ਵਨਵਾਸਿਯਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਉਨਕਾ ਘਰ ਹੋਨੇ ਕੇ ਸਾਥ—ਸਾਥ, ਉਨਕੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕੇ ਸਾਧਨ ਭੀ ਹਨ। ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਨ੍ਯ ਵਨਵਾਸਿਯਾਂ ਨੇ ਸਦੈਵ ਵਨਾਂ ਕੋ ਪਤਨ ਔਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਸੇ ਬਚਾਵ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਓਰ, ਪ੍ਰਾਂਜੀਪਤਿ ਵਰਗ ਔਰ ਉਸ ਵਰਗ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਚੇ—ਅਚੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਨੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਾਕ੃ਤਿਕ ਪਰ्यਾਵਰਣ ਕੇ ਸੰਰਕਣ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਪੁਣੀ ਵਨ (ਸੰਰਕਣ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਧੇਯਕ, 2023 ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਤਹਤ ਵਨ (ਸੰਰਕਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1980 ਮੌਤ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕਿਯੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰਾਮਰਥ ਕਰਨੇ ਕੇ ਸਵਾਂ ਰਚਾ ਗਏ

ਵਨ (ਸੰਰਕਣ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਧੇਯਕ, 2023 ਕੀ 1 ਅਗਸਤ ਕੇ ਰਾਖਾ ਸੰਸਥਾ ਮੌਤ, ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਸੰਸਦ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਮੌਤ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਚੰਚਾ ਕੇ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿਏ ਗਏ। ਪਹਲੇ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਕੀ 29 ਮਾਰਵ ਕੋ ਲੋਕਸਥਾ ਮੌਤ, ਪੇਸ਼ ਕਿਏ ਗਏ ਥਾ ਔਰ ਉਸੀ ਦਿਨ ਸੰਧੁਕਤ ਸੰਸਦੀਵ ਸਮਿਤੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਕੀ ਮੇਜ਼ਾਦੀ ਦਿਏ ਗਏ ਥਾ।

ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਰ ਅਲਗ—ਅਲਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਔਰ ਲੋਗਾਂ ਸੇ 1,300 ਸੇ ਅਧਿਕ ਆਪਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਤਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਗਾਂ ਔਰ ਵਨਵਾਸਿਯਾਂ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਲਡਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੀ ਆਂ ਸੇ ਆਈ। ਪ੍ਰਾਕ੃ਤਿਕ ਪਰ्यਾਵਰਣ ਕੀ ਰਕਾ ਸੇ ਸੰਬਧਿਤ ਲੋਗਾਂ ਔਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੀ ਆਂ ਸੇ ਆਈ।

ਸੇ ਭੀ ਕੁਝ ਆਪਤਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਗਏ। ਲੋਗਾਂ ਕੀ ਕਿਸੀ ਭੀ ਆਪਤਿ ਕੋ ਸ਼ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਏ ਗਏ। ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਕੀ ਅਪਨੀ ਅਤੀਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਥੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਤੁਤ ਵਿਧੇਯਕ ਮੌਤ, ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨੀ ਆਪਤਿਆਂ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਿਏ ਜਾਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਭੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀ ਔਰ ਵਹੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਏ, ਜਿਸੇ ਮਾਰਚ

ਤਰਹ, ਉਸ ਕਾਨੂਨ ਕੇ ਤਹਤ, ਆਦਿਵਾਸਿਯਾਂ ਔਰ ਅਨ੍ਯ ਵਨਵਾਸਿਯਾਂ ਕੋ ਉਨਕੀ ਅਪਨੀ ਭੂਮਿ ਪਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇ ਰਹਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਨਾ ਜਾਨੇ ਲਗਾ। ਭਾਰਤੀਯ ਵਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1927 ਕੀ ਉਦਦੇਸ਼ ਥਾ, ਲਕਡੀ ਔਰ ਅਨ੍ਯ ਵਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਪਰ ਲਗਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।

ਖਾਂਤੀਤ ਕੀ ਬਾਦ, ਦੇਸ਼ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਾਂਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਪਰਿਆਸ਼ਵਰੂਪ ਬਡੇ ਪੈਸਾਨੇ ਪਰ

ਏਫ.ਸੀ.ਏ. ਮੌਤ ਵਿਵਾਸਿਯਾਂ ਔਰ ਲੋਗਾਂ ਕੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕੀ ਰਕਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਕ੃ਤਿਕ ਪਰ्यਾਵਰਣ ਕੇ ਸੰਰਕਣ ਕੀ ਸੰਘਰਥ ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਸੇ ਉਪੇਕ਼ਾ ਹੈ। ਯੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਜੀਪਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਗਲਾਂ ਔਰ ਜਾਂਗਲਾਂ ਕੀ ਨੀਚੇ ਭੂਮਿ ਕੀ ਤੀਤੀ ਸ਼ੋ਷ਣ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੌਤ ਕੀ ਕਿਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਂ ਲੋਕਸਥਾ ਮੌਤ, ਪੇਸ਼ ਕਿਏ ਗਏ ਥਾ। ਬਤਾਵ ਜਾਨਾ ਹੈ ਕੇ ਵਿਪਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇ ਜੁਡੇ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੀ ਛੇ: ਸਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਨੀ ਅਸ਼ਵਮਤੀ ਜਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਏ ਹਨ।

ਸਥਾਂ ਹੈ ਕੇ ਲੋਗਾਂ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਪਰਾਮਰਥ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਧਿਆ ਏਕ ਵਿਖਾਵ ਕੇ ਅਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥੀ।

ਏਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸਿਤੀ

1980 ਕੇ ਵਨ ਸੰਰਕਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਮੌਤ, ਜਾਂਗਲਾਂ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ, 43 ਸਾਲ ਪਹਲੇ ਉਸ ਕਾਨੂਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਨੇ ਸੇ ਪਹਲੇ ਔਰ ਬਾਦ ਮੌਤ, ਵਨਾਂ ਸੇ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ

ਵਨਾਂ ਕੀ ਕਟਾਈ ਕੇ ਕਾਰਣ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ (ਸੰਰਕਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1980 ਕੀ ਪਾਰਿਤ ਕਿਏ ਥਾ। ਯਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਯਾ ਗਏ ਹੈ ਕੇ 1951 ਸੇ 1975 ਤਕ, ਲਗਭਗ 40 ਲਾਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਵਨ ਭੂਮਿ ਕੋ ਵਿਭਿੰਨ ਗੈਰ—ਵਾਨਿਕੀ ਇਸ਼ਟੇਮਾਲ ਕੇ ਲਿਏ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿਏ ਗਏ ਥਾ।

ਵਨ (ਸੰਰਕਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1980 (ਏਫ.ਸੀ.ਏ.—1980) ਨੇ ਵਨ ਭੂਮਿ ਕੋ ਗੈਰ—ਵਨ ਭੂਮਿ ਮੌਤ, ਬਦਲਨੇ ਪਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਬਧ ਲਗਾ ਦਿਏ। ਏਫ.ਸੀ.ਏ.—1980 ਕੀ ਘੋ਷ਣਾ ਕੇ ਬਾਦ, ਪਿਛੇ 43 ਵਰ਷ਾਂ ਮੌਤ, ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਪਰ, ਗੈਰ—ਵਨ ਉਦਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿਏ ਗਏ ਥਾ।



ਘਟਨਾਂ ਔਰ ਹਾਲਤਾਂ ਮੌਤ, ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕੇ ਸੰਨਦਰਭ ਮੌਤ, ਦੇਖਾ ਜਾਨੇ ਚਾਹੇ।

ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੌਤ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਵਾਸਾਂ ਵਿਵਾਸਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਗਾਂ ਔਰ ਵਨਵਾਸਿਯਾਂ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਲਡਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਵਿਖਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਵਿਖਾਵ ਕੀ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਧੇਯਕ, 2023 ਕੀ ਵਿਖਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਕੀ ਸਮੀਂ ਜਾਂਗਲਾਂ ਕੀ ਵਿਖਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਖਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਖਾਵ ਕੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗੇਂਦ ਵਨ—ਭੂਮਿ ਲਗਭਗ 10 ਲਾਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਹੋਨੇ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਕੇ ਵਨ ਕੈਂਚੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋਨੇ ਕੀ ਦਰ ਮੌਤ, ਕੁਛ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2023 ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਵਾਸਾਂ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤਿਬਧਾਂ ਕੇ ਹਟਾਨਾ ਇਤਾਰੇਦਾਰ ਪ੍ਰਾਂਜੀਪਤਿਆਂ ਕੇ ਇਤਾਰਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੌਤ, ਲਾਗੂ ਕੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਖਨਨ, ਜਲ ਵਿਦੁਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਂ, ਤੇਲ ਔਰ ਗੈਸ ਕੀ ਖੋਜ, ਲਕਡੀ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਰਿਲਾਈ ਏਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਲਿਏ ਵਨ ਭੂਮਿ ਕੇ ਦੋਹਨ ਕੀ ਬਢਾਵਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਨ ਸੰਰਕਣ ਅਧਿਨਿਯਮ—1980 ਕੀ ਵਿਖਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਖਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਖਾਵ ਕੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦਿਆਂ ਸੇ ਮਿਨ੍ਨ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਸੇ ਮੌਤ, ਹਕੀਕਤ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਿਤ ਵਿਵਾਸਿਯਾਂ ਕੀ ਜਾਂਗਲ ਪਰ ਜਨਮਿਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਨੇ ਭੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦਿਆਂ ਕੀ ਤਰਹ ਹੀ ਵਨਾਂ ਕੀ ਹੈ।

ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰ ਅਨ੍ਯ ਵਨਵਾਸਿਆਂ ਕੇ ਲਿਏ ਲਾਂਬੇ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸੇ ਵਨ ਉਪਯੋ

वन (संरक्षण) अधिनियम में किये गये प्रमुख संशोधन

पृष्ठ 3 का शेष

जंगलों के विशाल भूभाग को पूंजीपतियों को सौंप दिया है।

2023 का अधिनियम, निजी स्वामित्व वाले वनों और उन सभी अन्य वनों को भी, यह संशोधन 1980 के अधिनियम के संचालन क्षेत्र से हटा देता है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 या एफ.सी.ए.-1980 के तहत अधिसूचित नहीं किये गए हैं।

2023 का एक अन्य प्रमुख संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि हिन्दोस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाली वन भूमि, एफ.सी.ए. के दायरे से बाहर है। ऐसा राजनीतिक (यानी रक्षा संबंधी) उद्देश्यों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और रेल नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए किया गया है। यह संशोधन हमारे देश के घने जंगलों का एक बड़े हिस्से को वन अधिकार के दायरे से बाहर कर देगा, जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के सीमावर्ती राज्यों में हैं। इसके अलावा, इसका असर परिचम बंगाल के सुंदरबन पर भी पड़ेगा, जिसकी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है।

2023 के अन्य संशोधन सरकार को जंगलों से गुजरने वाले राजमार्गों और

- हिन्दोस्तान के 140 पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र, देश के कुल वन-क्षेत्र का 40 प्रतिशत है।
- हिन्दोस्तान के जनजातीय-जिलों में वन क्षेत्र, देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत है।
- उत्तर पूर्व क्षेत्र में वन क्षेत्र, देश के कुल वन क्षेत्र का 24 प्रतिशत है। यह इस क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का 65 प्रतिशत है।

(नोट : उत्तर पूर्व में ऐसे जिले शामिल हैं जो पहाड़ी जिले के साथ-साथ आदिवासी जिले भी हैं।)

स्रोत : भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021



रेलवे के किनारे की भूमि को अधिनियम के दायरे से हटाने की अनुमति देते हैं। जंगल के नीचे खनिज, तेल और गैस की मौजूदगी की खोज करने की अनुमति होगी। इको-टूरिज्म के नाम पर जंगलों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खोल दिया जाएगा। सुरक्षा बल "वामपंथी उग्रवाद" से

निपटने के नाम पर, जंगलों के क्षेत्रों को साफ़ कर सकते हैं और वहां पर अपने शिविर स्थापित कर सकते हैं। जिसका इस्तेमाल, वनवासियों की आजीविका पर हमलों के खिलाफ़ और उनके पारंपरिक अधिकारों के लिए संघर्ष को दबाने के लिए किया जाएगा।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 में 2023 के संशोधन, वनवासियों के जंगलों पर उनके अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी करता है। इसने केंद्र सरकार को रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण पर्यटन, खनिज संसाधनों की खोज आदि के नाम पर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने की ताकत दे दी है।

पहाड़ी राज्यों उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश में, प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश के खिलाफ़, लंबे समय से लोगों के आंदोलन चल रहे हैं। लोग बड़े पैमाने पर जल विद्युत परियोजनाओं और राजमार्ग परियोजनाओं के साथ-साथ लकड़ी के लिए वनों की कटाई का भी विरोध कर रहे हैं। इन परियोजनाओं ने भूस्खलन और भारी बाढ़ सहित कई आपदाओं को लाने और लोगों पर उसका कुप्रभाव डालने में सिधे तौर पर योगदान दिया है। इस वर्ष आई बाढ़ ने इन राज्यों के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे निचले राज्यों को भी तबाह कर दिया है, जो पूंजीपतियों द्वारा वनों और प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है।

संक्षेप में, एफ.सी.ए. में संशोधन वनवासियों और लोगों की आजीविका की रक्षा और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के संघर्ष की पूरी तरह से उपेक्षा है। ये संशोधन पूंजीपतियों द्वारा जंगलों और जंगलों के नीचे की भूमि के तीव्र शोषण की सेवा में किये गए हैं।

<http://hindi.cgpi.org/23885>

हिन्दोस्तान की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर

पृष्ठ 1 का शेष

या उन्हें किसी भी समय वापस बुलाने के अधिकार से वंचित करना जारी रखा है।

ब्रिटिश राज की केंद्रीकृत अफ़सरशाही और सशस्त्र बलों, कानूनों, अदालतों और जेलों का प्रयोग बीते 76 वर्षों से, हिन्दोस्तानी सरमायदारों की हुक्मत को बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है। 'फूट डालो और राज करो' – यह आज़ाद हिन्दोस्तान के हुक्मरानों का मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा हुक्मरान का एक परसंदीदा तरीका बना हुआ है।

बीते 76 वर्षों में, पूंजी के बढ़ते संकेन्द्रण के साथ-साथ, राजनीतिक शक्ति का भी संकेन्द्रण बढ़ा है। उपनिवेशवादी काल से विरासत में मिले राज्य का प्रयोग करते हुए, बड़े पूंजीपतियों ने पूंजीवाद विकसित किया है, अपने हाथों में बेशुमार धन केंद्रित किया

है और अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए इजारेदार पूंजीपति बन गए हैं। उन्होंने अब तक उदारीकरण और निजीकरण के साम्राज्यवादी नुस्खों को पूरी तरह अपना लिया है।

आज हिन्दोस्तान का नवनिर्माण वक्त की मांग है। उपनिवेशवादी विरासत से 1947 में जो नाता नहीं तोड़ा गया था, आज उस नाते को तोड़ने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसी नई राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है, जिसमें संप्रभुता लोगों में निहित हो और संविधान लोकतांत्रिक अधिकारों व मानवाधिकारों की अलंघनीयता की गारंटी देता हो। राजनीतिक प्रक्रिया को बदलना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेहनतकश जनता फैसले लेने की शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम हो।

हुक्मरान सरमायदार अपने बेहद संकीर्ण हितों और साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, देश को बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं। मज़दूरों का शोषण और उत्पीड़ित लोगों के साथ मिलकर, मुक्ति के लिए संघर्ष की अगुवाई करनी होगी।

और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा से मुक्ति पाने की ज़रूरत है। मज़दूर वर्ग को किसानों और अन्य सभी मेहनतकशों व उत्पीड़ित लोगों के साथ मिलकर, मुक्ति के लिए संघर्ष की अगुवाई करनी होगी।

हिन्दोस्तान के लोगों को पूंजीवादी शोषण और साम्राज्यवादी लूट के साथ-साथ, जातिवादी भेदभाव, महिलाओं के उत्पीड़न

की मांग है। उपनिवेशवादी विरासत से 1947 में जो नाता नहीं तोड़ा गया था, आज उस नाते को तोड़ने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसी नई राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है, जिसमें संप्रभुता लोगों में निहित हो और संविधान लोकतांत्रिक अधिकारों व मानवाधिकारों की अलंघनीयता की गारंटी देता हो। राजनीतिक प्रक्रिया को बदलना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेहनतकश जनता फैसले लेने की शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम हो।

राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेकर, मज़दूर वर्ग और उसके मित्र अर्धव्यवस्था को नई दिशा देंगे। सामाजिक उत्पादन की दिशा पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने की नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में बदल दी जायेगी। ऐसा होने पर ही बहुसंख्यक हिन्दोस्तानी लोग दिल से देश की आज़ादी का जश्न मना सकेंगे।

<http://hindi.cgpi.org/23876>



पाठकों की प्रतिक्रिया

संपादक महोदय,

नाटो शिखर सम्मेलन पर आपके लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमरीकी साम्राज्यवाद का नाटो के विस्तार का क्या मक्सद था और है। यह झूठा प्रचार फैलाया जाता रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक नाटो सैन्य गठबंधन बनाया गया। सच्चाई यह है कि 50 के दशक में रूस, यानी कि तब का सोवियत संघ, कम्युनिज्म का विचार उच्चतम स्तर पर था। अमरीकी

साम्राज्यवाद को पूरा यकीन हो चुका था, कि अगर इसे न रोका गया तो दुनियाभर के देश समाजवाद की ओर तेज़ी से बढ़ते जायेंगे। कुल मिलाकर नाटो की स्थापना दुनिया में कम्युनिज्म की विचारधारा को रोकने के लिए की गयी थी।

एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाये रखने की बात करता है; राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना चाहता है। दूसरी ओर नाटो की तरफ से यह बयान है कि यूक्रेन का भविष्य नाटो में है,

जिससे यूक्रेन के साथ रूस को जंग जारी रखने को बढ़ावा मिलता है।

लेख में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं कि कौन सा देश सैन्य सुरक्षा के नाम पर यूक्रेन को कितने हफ्तियार उपलब्ध कराएगा, यह साफ़ दर्शाता है कि अमरीकी साम्राज्यवाद सिर्फ़ अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है। नाटो में जो सदस्य शामिल हैं उनमें से लगभग 50 प्रतिशत देशों की जनसंख्या एक करोड़ से कम है। इन देशो

देशभर में मज़दूरों का महापड़ाव

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

9 अगस्त, 2023 को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की पहल पर, देशभर में मज़दूरों ने महापड़ाव के कार्यक्रम आयोजित किये। केन्द्र सरकार की मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी, जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा अपनी मांगों को लेकर मज़दूरों ने अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में और जिला-तहसील के मुख्यालयों पर कई जुलूस, धरने, सभाएं और विरोध प्रदर्शन किये। अनुमान लगाया जा रहा है कि देशभर में 700 से ज्यादा स्थानों पर इस तरह के महापड़ाव आयोजित किए गए।

इस महापड़ाव के लिए मज़दूरों को संगठित करने के उद्देश्य के साथ, ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में मज़दूरों ने महापड़ाव के एक महीने पहले से ही औद्योगिक क्षेत्रों और मज़दूरों की रिहाईशी कालोनियों में पर्चे बांटे और जोरदार अभियान चलाये।

देश की राजधानी दिल्ली में संसद के पास, जंतर-मंतर पर एक महापड़ाव आयोजित किया गया।

इस महापड़ाव में अलग-अलग क्षेत्रों से सैकड़ों मज़दूर शामिल हुए। महिला मज़दूरों ने जोश के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। मज़दूरों के हाथों में बैनरों और प्लाकार्डों पर विरोध प्रकट करते हुए नारे लिखे थे – “महाराष्ट्र, बेरोज़गारी के खिलाफ संघर्ष तेज़ करो!”, “निजीकरण-उदारीकरण मुर्दाबाद!”, “नयी शिक्षा नीति वापस लो!”, “लोगों की हिफाजत में संघर्ष करने वालों की आवाज़



को दबाना बंद करो!”, “बैंक, रेल, बीमा, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा को बेचना बंद करो!”, मज़दूरों को गुलाम बनाने वाले चार लेबर कोड रद्द करो!”, “न्यूनतम वेतन 26,000 करो!”, “समान काम का समान वेतन दो!”

दिल्ली में महापड़ाव के आयोजक थे – एटक, सीटू, मज़दूर एकता कमेटी, हिन्द मज़दूर सभा, इंटक, एआईयूटी.यू.सी., एआईसीसीटीयू., यूटीयू.सी., एल.पी.एफ., सेवा और आईसीटीयू। सभी आयोजक संगठनों के प्रतिनिधियों ने महापड़ाव को संबोधित किया।

वक्ताओं ने देशी-विदेशी बड़े-बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों के मुनाफों को और तेज़ी से बढ़ाने के उद्देश्य से बनायी गयी मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी, जन-विरोधी नीतियों की कड़ी निंदा की। इन नीतियों के चलते अमीरों और ग़रीबों

के बीच की खाई बढ़ रही है। ग़रीबी, भुखमरी, कुपोषण और बेरोज़गारी बढ़ रही हैं। दिहाड़ी मज़दूरों में रोज़ी-रोटी की असुरक्षा इतनी बढ़ गयी है कि वे खुदकुशी करने को मजबूर हैं। छंटनी, तालाबंदी, वेतन कटौती जैसे कदमों के जरिए मज़दूरों के जीवन स्तर को नीचे की ओर धकेला जा रहा है। चार लेबर कोड के ज़रिए मज़दूरों पर नयी गुलामी लादी जा रही है। प्रतिदिन काम के घटे 8 से 12 किए जा रहे हैं।

वक्ताओं ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि दिल्ली-एनसीआर में 95 फीसदी मज़दूरों को घोषित न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। असुरक्षित हालतों में काम करने को मजबूर होकर मज़दूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन, दोषी पूंजीपति

मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।

सार्वजनिक उद्यमों और सेवाओं – रेल, सड़क, डिफेंस, एयरपोर्ट, बिजली, पेट्रोलियम, परिवहन, बैंक, बीमा, संचार, कोयला खनन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आदि – को देशी-विदेशी इजारेदार पूंजीवादी घरानों के हाथों में कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है।

मणिपुर और हरियाणा में हाल में फैलाई गयी सांप्रदायिक हिंसा का ज़िक्र करते हुए, वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि इनके लिए पूंजीपति और उनकी सरकार ज़िम्मेदार हैं। उनका इरादा है पूंजीपतियों के सबतरफा हमलों के खिलाफ मज़दूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और सभी मेहनतकर्ताओं की एकता को तोड़ना और उनके एकजुट संघर्ष को कुचलना।

इन सभी बातों का यह निष्कर्ष साफ-साफ निकल कर आया कि अगर अर्थव्यवस्था को लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में चलाना है, तो पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने की दिशा में, तो पूंजीपतियों को सत्ता से हटाना होगा। मज़दूरों-किसानों को अपनी हुक्मत स्थापित करनी होगी, उत्पादन के सभी साधनों पर समाज की मालिकी स्थापित करनी होगी और समाज के सभी फैसलों को लेने में सक्षमता हासिल करनी होगी।

महिला मज़दूरों के एक सामूहिक गीत के साथ महापड़ाव का समापन हुआ।

<http://hindi.cgpi.org/23860>

तमिलनाडु के मज़दूरों ने अधिकारों पर हमलों के खिलाफ सभा की

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

9 अगस्त को तमिलनाडु में ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों ने चेन्नई और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। चेन्नई के एग्मोर राजरत्नम स्टेडियम में एक विशाल सभा आयोजित की गई। मज़दूरों ने लंबे समय से चली आ रही अपनी मांगों को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। इस विशाल सभा की तैयारियों के लिए, ट्रेड यूनियनों ने एक महीने से अधिक समय तक पूरे राज्य में बैठकें कीं, घर-घर जाकर प्रचार अभियान चलाये, नुक़्कड़ सभाओं का आयोजन किया, वाहनों पर जुलूस निकाले तथा पोस्टर लगाये, आदि। पूंजीपतियों और उनकी सरकार की मज़दूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ मज़दूरों को एकजुट और संगठित करने के इस अभियान में तोड़िलालर ओट्टुमई इयक्कम ने जोरदार तरीके से भाग लिया।

ट्रेड यूनियनों के 14 सूत्रीय मांगपत्र में शामिल हैं :

1. मज़दूर वर्ग विरोधी 4 श्रम संहिताओं को ख़त्म करो
2. अस्थायी, कैज़ुअल और संविदा मज़दूरों को स्थायी करो
3. जीवनयापन के लिये बढ़ते खर्च का मुकाबला करने के लिए न्यूनतम मज़दूरी 28,000 रुपये प्रति माह निर्धारित करो
4. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण पर रोक लगाओ



5. सभी मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लागू करो
6. सभी मज़दूरों के लिए 10,000 रुपये न्यूनतम पेशन सुनिश्चित करो
7. सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए क़दम उठाओ
8. सभी कृषि उपजों के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी दो
9. सभी लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल सुनिश्चित किया जाये
10. भावी पीढ़ियों के हित के लिए पर्यावरण की रक्षा करो

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं तथा बैंकों, बीमा, दूरसंचार, रक्षा क्षेत्र व सरकारी कर्मचारियों की फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया। वक्ताओं ने

सरकार द्वारा मज़दूर वर्ग पर किये जा रहे हमलों की निंदा की।

वक्ताओं ने बताया कि सबसे भयानक हमला मज़दूरों के उन अधिकारों पर है जिन्हें मज़दूरों ने दशकों से अनगिनत संघर्षों और लड़ाइयों को लड़कर जीता है। बड़े पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार 4 श्रम संहितायें (लेबर कोड) लेकर आई हैं। ये संहितायें अनिवार्य रूप से मज़दूरों के अधिकांश अधिकारों पर और हड़ताल पर जाने के उनके अधिकार से इनकार करती हैं, इसके अलावा पूंजीपतियों द्वारा मज़दूरों को काम पर रखकर, कभी भी नौकरी से निकालने को बैध बनाते हैं। उन्होंने इन मज़दूर-विरोधी श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने की मांग की।

उन्होंने यह भी बताया कि पूरे हिन्दोस्तान में कारखानों में अधिकांश मज़दूर निश्चित अवधि के आधार पर या अनुबंध या कैज़ुअल मज़दूर के रूप में काम करते हैं। इन मज़दूरों को वैधानिक न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर काम करना पड़ता है और उनके पास आजीविका या सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वक्ताओं ने मांग की कि सभी अस्थायी, कैज़ुअल और अनुबंध मज़दूरों को जल्द से जल्द नियमित किया जाये।

वक्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण माफ कर दिए हैं, जिसे कई बड़े पूंजीपतियों ने बैंकों को वापस करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मांग की कि सरकार को पूंजीपतियों से इस भारी रकम को वसूलने और इसे मज़दूरों और किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के कदम उठाने चाहिए।

वक्ताओं ने अत्यधिक मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कई लाख करोड़ रुपये की संपत्ति को बड़े पूंजीपतियों को सौंपे जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि एल.आई.सी., सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रेलवे, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, बिजली उत्पादन कंपनियों आदि को पूंजीपतियों को भारी मुनाफा कमाने के लिए सौंपा जा रहा है। उन्होंने

शेष पृष्ठ 6 पर

To
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई-392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइज़, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक—मधुसूदन कस्तूरी, ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911



WhatsApp
9868811998

अवितरित होने पर हस्त पते पर वापस भेजें :
ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020

ऐल कर्मचारियों की गिरफ्तारी :

ऐल दुर्घटनाओं के वास्तविक कारण पर पर्दा डालना

कैंप्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने 2 जून को ओडिशा के बालासोर में तीन रेलगाड़ियों की टक्कर के मामले में दो वरिष्ठ सेक्षण अधियंताओं (सिग्नल) और एक तकनीशियन को 7 जुलाई को गिरफ्तार किया। उन पर गैर-इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है।

दुर्घटना के लिए दोषी ठहराए गए तीनों रेल कर्मचारियों की गिरफ्तारी को कई तथ्यों की रोशनी में देखा जाना चाहिए, जो बताते हैं कि सुरक्षा मानकों की उपेक्षा, गहरी जड़ वाली व्यवस्थागत समस्या है।

रेलवे के अधिकारियों ने पटरियों के रखरखाव की उपेक्षा की है तथा पटरियों के निरीक्षण के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। ट्रैकमैन को अधिकतम जोखिम वाली परिस्थितियों में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। रेल चालकों से ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। सिग्नलिंग सिस्टम में आई दिक्कतों को दूर नहीं किया जाता है। सिग्नल और पटरियों के निरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित मज़दूरों की जगह पर मज़दूरों को अनुबंध पर रखा जाता है। ज़रूरी पुर्जों की आपूर्ति के लिए निजी कंपनियों को आउटसोर्स किया जाता है। इन सबके परिणामस्वरूप भारतीय रेल में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।

भारतीय रेल में लगभग 3,12,000 पद खाली पड़े हैं। वास्तविक कर्मचारियों की कमी और भी ज्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते यातायात के बावजूद, अधिकारियों ने बहुत बड़ी संख्या में पदों को सरेंडर कर दिया है।

पटरियों का रखरखाव करने वालों के काम की स्थितियां इतनी असुरक्षित हैं कि उनमें से हर दिन लगभग 2-3 लोग काम करते समय मर जाते हैं! वे रेलगाड़ी के नीचे

आकर कुचले जाते हैं क्योंकि आने वाली रेलगाड़ियों के बारे में चेतावनी देने वाला कोई भी सुरक्षा उपकरण उनके पास नहीं होता है।

रेल चालकों को आधिकारिक तौर पर प्रतिदिन 9 घंटे काम करना होता है। हालांकि, बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों के कारण, उन्हें दिन में 14-16 घंटे भी बिना आराम किये काम करना पड़ता है। रेल चालकों को लगातार रात की छया करनी पड़ती है। अक्सर उन्हें छुट्टी नहीं मिलती और यहां तक कि पर्याप्त साप्ताहिक आराम भी नहीं दिया जाता।

1980 के दशक में एक नए रेल चालक को डीजल इंजन पर 10 महीने तक प्रशिक्षित किया जाता था। अब अलग-अलग इंजनों की संख्या बहुत अधिक है और नए व्यक्ति को केवल तीन महीने में डीजल और इलेक्ट्रिक, दोनों इंजनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाता है।

अधिकारियों का ध्यान रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने पर रहा है न कि सुरक्षा बढ़ाने पर।

सभी श्रेणियों के रेलकर्मी रेलवे अधिकारियों द्वारा सुरक्षा की अनदेखी पर अपनी चिंता जताते रहे हैं। उन्होंने खाली पदों को न भरने, रेल चालकों से अधिक काम लेने और प्रशिक्षित पूर्णकालिक कर्मचारियों के स्थान पर अनुबंध पर रखे गये मज़दूरों के उपयोग के खिलाफ बार-बार आवाज़ उठाई है।

रेलवे सुरक्षा पर काकोड़कर कमेटी ने 2012 में ही बताया था कि रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए अगले कुछ वर्षों में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। उस कमेटी की सिफारिश को पूरी तरह से नज़रंदाज कर दिया गया है।

भारतीय रेल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश में 1,14,907 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली पटरियों में से 4,500 किलोमीटर का हर साल नवीनीकरण किया

जाना चाहिए। पिछले कई दशकों से, हर साल पटरियों का वास्तविक नवीनीकरण अधिकतम 2,000 किमी के आसपास होता है। इस प्रकार, असुरक्षित पटरियों की लंबाई हर साल बढ़ रही है और वर्तमान में कुल मिलाकर यह लंबाई 15,000 किलोमीटर है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पटरियों का खराब रखरखाव गाड़ियों के पटरी से उतरने का प्रमुख कारण था, जो रेल दुर्घटनाओं के सबसे आम रूपों में से एक था। रेलवे की पटरियों के निरीक्षण में 30 से 100 प्रतिशत तक की कमी थी। पटरियों के नवीकरण के लिए धन का आवंटन 2018-19 में 9607.65 करोड़ रुपये से घटकर 2019-20 में 7417 करोड़ रुपये हो गया। 2020-2021 के लिए आवंटित धनराशि का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया है।

मार्च 2023 को समाप्त हुये वित्त वर्ष में सिग्नल की खराबी की 50,000 से अधिक सूचनायें मिली हैं। सिग्नल की खराबी के परिणामस्वरूप रेलगाड़ियों को गलत पटरी पर मोड़ने के कई मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मामलों में, इसका संबंध सिग्नल प्रणाली की खराबी से है और इस मुद्रे को अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है। इसी अवधि में ओवरहेड उपकरणों की विफलताएं 590 से बढ़कर 636 हो गई हैं और ट्रेन पार्टिंग की विफलताएं 144 से बढ़कर 253 हो गई हैं। ट्रेन पार्टिंग एक ट्रेन को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना है, जब ट्रेन चल रही हो या बस चलने वाली हो। इन गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में, रेलवे की विभिन्न कार्यशालाएं बंद कर दी गई हैं तथा कई पुर्जों और उप-असेंबली की आपूर्ति के

लिये निजी कंपनियां आउटसोर्स कर दी गई हैं। इसकी वजह से आपूर्ति किए गए पुर्जों की गुणवत्ता में गिरावट आई है।

कुशल तकनीकी कार्यों के लिए भी संविदा मज़दूरों को काम पर रखा जाता है। वे अप्रशिक्षित होते हैं और उन्हें रखरखाव के लिए आवश्यक प्रासंगिक मापदंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।

आउटसोर्सिंग और टेकेदारी प्रथा दोनों ने सुरक्षा के साथ खिलाफ़ किया है।

एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने व्यवस्थागत विफलताओं की रिपोर्ट और सुधारात्मक उपायों के लिये की गई सिफारिशों को नज़रंदाज किया है। इन पर तुरंत ध्यान देने के बजाय दुर्घटनाओं को होने दिया है, जिनमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हो जाने के बाद उन मज़दूरों को दोषी ठहराया जाता है, जो सबसे असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।

हाल ही में हुई भयानक दुर्घटना के लिए कुछ कर्मचारियों को दोषी ठहराना और गिरफ्तार करना, देश में रेल यात्रा की सुरक्षा के गिरते स्तर के वास्तविक कारण पर पर्दा डालने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है।

भारतीय रेल का बिगड़ता सुरक्षा रिकॉर्ड आउटसोर्सिंग, निजीकरण और लागत में कटौती के उपायों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य पूंजीवादी मुनाफ़े को अधिकतम करना है।

समस्याओं के समाधान के लिए निजीकरण कार्यक्रम को तत्काल रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए कामकाजी आबादी के लिए सुरक्षित और सस्ती यात्रा और रेल मज़दूरों के लिए काम की सुरक्षित परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय रेल को पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है।

<http://hindi.cgpi.org/23869>

तमिलनाडु के मज़दूरों ने ...

पृष्ठ 5 का शेष

मांग की कि सरकार के निजीकरण कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिए और वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार की मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ मज़दूरों और किसानों की एकता को मजबूत करने का आह्वान भी किया।

यह घोषणा की गई कि ट्रेड यूनियनें आगे की कार्रवाई तय करने के लिए 24 अगस्त को नई दिल्ली में मज़दूरों और किसानों के संगठनों के एक दिवसीय संयुक्त सम्मेलन में भाग लेंगी।

मज़दूरों ने पूंजीपतियों और उनकी सरकार के खिलाफ दिनभर चलने वाली सामूहिक सभा में भाग लिया। यह सभा

